>

Title: Need to put a check on illegal mining of sand from river beds in Bihar.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): महोदय, मैं राष्ट्र की नदियों की चर्चा करना चाहता हूं। नदियां हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा रही हैं और हमारी संस्कृति तथा सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। आज लोगों का नदियों के प्रति जो दुर्व्यवहार है और विशेषकर उद्योगपतियों का, इसे राजस्व का साधन लोगों ने बना डाला है। जब नदी की मैं चर्चा करता हूं, जो नदी का प्राकृतिक स्वरूप है, जो नदी में पानी है, नदी में बालू, कंकड़, पत्थर उसके पेट में भरे हों और उसके दोनों किनारे स्थिर हों। ये नदियां जंगल और पहाड़ों से वर्षा का पानी ले कर समुद्र तक की यात्रा करती हैं। विशेषकर गंगा और यमुना तथा बाकी इनकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा और भी प्रदेशों की अन्य नदियां हैं। इन नदियों के पेट में भरा हुआ बालू और कंकड़ आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी सामग्री बन गई है। इस निर्माण उद्योग के लिए जिस तरह से नदियों के बालू, पत्थर, कंकड़ का दोहन हो रहा है, उससे नदियों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है। ये नदियां हमारी जीवन रेखा है और हम यदि इन नदियों को नष्ट कर डालेंगे, तो राष्ट्र की आबादी को बचाना मुश्किल होगा।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इन्हीं नदियों का पानी हमारे लिए पेय जल के रूप में भी प्रयोग होता है, जब जमीन के नीचे पानी बालू, पत्थर आदि से छन कर जाता है। आज बिना विचार किए नदी के पेट से बालू और पत्थर की कितनी सतह रहनी चाहिए, जिससे कि पानी जमीन में जा कर इंसान के पीने के लायक बन सके, इन नदियों से सामग्री निकाली जा रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि नदियों की यह सारी सामग्री निकाल ली जाए तो नदियों में सिवाए कीचड़ के कुछ नहीं बचेगा और नदी का मतलब ही यह होता है कि जिसमें स्वयं अपने पानी को साफ करने की क्षमता हो। यदि नदियों में पानी को साफ करने की क्षमता न रह जाए तो ये नदियां अपने आप में समाप्त हो जाएगी अर्थात् मौत के कगार पर चली जाएगी।

मैं कहना चाहता हूं कि पहले कंकड़ और पत्थर नदियों के पेट से निकाले गये। अब मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं जहां जमीन के अंदर से बोरिंग करके 30-35 फीट नीचे नदी के बैड से नीचे से बालू निकाला जा रहा है और निर्माण उद्योग में उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी जिस बालू का स्तर हमें स्वच्छ जल देने की सबसे बड़ी गारंटी थी, उसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस तरह से वन का कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस राष्ट्र में वन और पहाड़ों को बचाया गया, यदि नदियों को बचाने के लिए भारत सरकार यह कानून लेकर नहीं आती है, नदियों की सामग्रियों को यथावत बनाये रखने के लिए यदि सरकार कानून नहीं लेकर आती है तो ये नदियां समाप्त हो जाएंगी और इसका नतीजा यह होगा कि आम इंसान के जीवन पर खतरा पैदा हो जाएगा।